# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादोती

| दिनांक | फर्द अहकाम | |
|---|---|---|
| 8.06.17 | प्रस्ताव आज पेश हुआ। अधिवक्ता के रेस्पोडेन्ट उपस्थित आये। आवेदक का मुख्य विवरण कमाकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने पटवारी द्वारा अराजपत्रीय नामान्तरण संख्या 1337 दिनांक 13.06.13 को स्वीकार किया जबकि विपक्षी अराजपत्रीय होकर वह अधिकृत नहीं है। दिनांक 01.05.2012 को श्योदान के पौत्र तेजे पर उसके पारिवारिक के नाम नामान्तरण अपील सं. 1337 दिनांक 13.06.13 को सरपंच ग्राम पंचायत करडोला द्वारा अराजपत्रीय तरीके किया गया है वह गलत तरीके किया है। नामान्तरण संख्या 1337 के आधार से ऊँचा गाव, उपनाम व विक्रय और आदि मीना निवासी करडोला तो वह रजिस्टर्ड राहिन इन्डिया द्वारा नादोती मुकेश अराजपत्रीय तो गलत अराजपत्रीय है। उसकी अधिकारिता भी कार्यालय अधिकारी के स्थान पर क्रमोन्नयन करनी चाहिए थी। ग्राम पंचायत ने जानते हुए नामान्तरण गलत तरीके किया है।

अपील कर्ता द्वारा भी आकर रेस्पोडेन्ट को जवाब पेश करने नोटिस जारी किया गया। जो जवाबदावा शामिल प्रस्ताव को किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 को जवाब शामिल प्रस्ताव किया गया।

पेश